



हिन्दुस्तान

दारुल हरेब या
दारुल इस्लाम?

अब्दे मुस्तफ़ा
मुहम्मद साबिर कादिरी

किताब या रिमाले का नाम

हिन्दुस्तान

दारुल हरब या दारुल इस्लाम ?

मुसन्निफ़/मुअल्लिफ़ : अब्दे मुस्तफ़ा (मुहम्मद साबिर क़ादिर)

जुबान : हिन्दी

मौज़ू : मामूलाते अहले मुन्नत

तर्जुमा : AMO TRANSLATION DEPARTMENT

डिज़ाइनिंग : PURE SUNNI GRAPHICS

सना इशाअत : OCTOBER 2022/RABIUL AAKHIR 1444H

नाशिर : SABIYA VIRTUAL PUBLICATION

सफ़हात : 32

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

अल्लाह के
नाम से शुरू
जो निहायत मेहरबान,
रहमत वाला है।

हिन्दुस्तान

दारूल हरब या दारूल इस्लाम

अब्दे मुस्तफ़ा

मुहम्मद साबिर क़ादिरी

नाशिर

साबिया वर्चुअल पब्लिकेशन

फ़ेहरिस्त

किसी भी उन्वान पर क्लिक करें और मुतल्लिक्रा सफ़हे पर जाएं।

इमामे अहले सुन्नत, आला हजरत	4
फ़तावा आलमगीरी में है :	5
दुर गुर मुल्ला खुसरो में है :	7
जमीउल फुसूलैन से नक़ल किया गया :	7
शरहे निक़ाया में है :	10
और इसी में है :	10
फ़तावा मुफ़्ती -ए- आजमे हिंद में :	12
सदरुशशरिया, अल्लामा मुफ़्ती अमजद अली आजमी	12
मलिकुल उलमा, अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी	13
फ़तावा दीदारिया	14
फ़तावा अजमलिया	15
फ़तावा शरईया	16
फ़तावा मसऊदी	17
फ़तावा निज़ामिया	18
फ़तावा हाफ़िजे मिल्लत	19
फ़तावा इदारा शरिया	20
नेपाल दारुल हरब या दारुल इस्लाम	20
अजहरुल फ़तावा में एक अंग्रेज़ी फ़तवा	22

हिन्दुस्तान दारूल ह़रब या दारूल इस्लाम

हासिले कलाम.....	25
नोट :	25
हिंदी में हमारी दूसरी किताबें	26

मुल्लेके हिन्दुस्तान दारुल हरब है या दारुल इस्लाम? इस के बयान में हम ने कई उलमा -ए- अहले सुन्नत की तहकीक़ को इस रिसाले में जमा किया है। सब से पहले हम इमामे अहले सुन्नत, आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के एक रिसाले को इख़्तिसार के साथ नक़ल करेंगे जो आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने खास इसी मौजूद पर लिखा था कि "हिन्दुस्तान दारुल इस्लाम है" और अरबी में इसे नाम दिया "इलामुल आलाम बी अन्ना हिन्दुस्तान दारुल इस्लाम" ये रिसाला फ़तावा रज़विय्या की चौदवी जिल्द में मौजूद है।

इमामे अहले सुन्नत, आला हज़रत

इमामे अहले सुन्नत, आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह से सवाल किया गया कि हिन्दुस्तान दारुल हरब है या दारुल इस्लाम? जवाब में आप तहरीर फ़रमाते हैं कि :

हमारे इमामे आजम रदिअल्लाहु तआला अन्हु बल्कि उलमा -ए-सलासा रहीमहुमुल्लाहु तआला अलैहिम के मज़हब पर हिन्दुस्तान दारुल इस्लाम है कि दारुल हरब हो जाने में जो तीन बातें हमारे इमामे आजम इमामुल अइम्मा रदिअल्लाहु तआला अन्हु के नज़दीक़ दरकार हैं उन में से एक ये है कि वहाँ अहकामे शिर्क़ ऐलानिया जारी हों और शरीअते इस्लाम के अहकाम व शिआर मुतलक़न जारी ना होने पाएँ और साहिबैन के नज़दीक़ इसी क़दर काफ़ी है मगर ये बात बिहमदिल्लाह यहाँ (हिन्दुस्तान में) क़त्अन मौजूद नहीं। अहले

इस्लाम जुम्आ व ईदैन व अजानो इक्रामत व नमाजे बा जमाअत वगैरहा शिआरे शरीअत बगैर मुजाहिमत अलल ऐलन अदा करते हैं। फ़राइज़, निकाह, रिदअ, तलाक़, इद्दत, रुजअत, महर, खुला, नफ़कात, हज़ानत, नसब, हिबा, वक्फ़, वसीय्यत, शिफ़ा वगैरहा बहुत मुआमलाते मुस्लिमीन हमारी शरीअत की बिना पर फैसल होते हैं कि इन उमूर में हज़राते उलमा से फ़तवा लेना और उसी पर अमल व हुक्म करना हुक्कामे अंग्रेज़ी को भी ज़रूर होता है अगर्चे हिन्दू व मजूसी व नसारा हो और बिहम्दिल्लाह ये भी इस शरीअत की शौकत है कि मुख़ालिफ़ीन को भी अपनी तस्लीम इत्तिबा पर मजबूर फ़रमाती है। बिहम्दिल्लाह रब्बिल आलमीन

फ़तावा आलमगीरी में है :

اعلم ان دارالحراب تصيردار الاسلام بشرط واحد وهو اظهار
حكم الاسلام فيها

(فتاوى ہندیہ کتاب السیر الباب الخامس فی استیلاء الکفار نورانی کتب خانہ پشاور ۲/۲۳۲)

जान लो कि बेशक दारुल हरब एक ही शर्त से दारुल इस्लाम बन जाता है वो ये है कि वहाँ इस्लाम का हुक्म ग़ालिब हो जाए।

इसी में नक्ल किया गया है कि :

انبا تصيردار الاسلام دارالحراب عنداى حنیفة رحبه الله
تعالى بشرط ثلاثة، احدها اجراء احكام الكفار على سبيل

الاشتھار وان لا یحکم فیھا بحکم الاسلام، ثم قال و صورۃ
المسئلة ثلاثة اوجه اما ان یغلب اهل الحرب علی دار من
دورنا و ارتد اهل مصر غلبوا و اجر و احکام الکفر و نقض اهل
الذمة العهد و تغلبوا علی دارهم ففی کل من هذه الصور
لاتصیر دار حرب الا بثلاثة شروط، و قال ابویوسف و محمد
رحمهما الله تعالی بشرط واحد و هو اظهار احکام الکفر و هو
القیاس الخ

(فتاویٰ ہندیہ کتاب السیر الباب الخامس فی استیلاء الکفار نورانی کتب خانہ پشاور ۲/۲۳۲)

इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के नज़दीक दारुल इस्लाम तीन शराइत से दारुल ह़रब होता है जिन में एक ये कि वहाँ कुफ़र के अहकाम ऐलानिया जारी किए जाएँ और वहाँ इस्लाम का कोई हुकम नाफ़िज़ ना किया जाए, फिर फ़रमाया और मसअला की सूरत तीन तरह है, अहले ह़रब हमारे इलाक़े पर ग़लबा पा लें या हमारे किसी इलाक़े के शहरी मुर्तद हो कर वहाँ ग़लबा पा लें और कुफ़र के अहकाम जारी कर दें या वहाँ जिम्मी लोग अहद को तोड़ कर ग़लबा हासिल कर लें, तो इन तमाम सूरतों में वो इलाक़ा तीन शर्तों से दारुल ह़रब बन जाएगा वो ये कि अहकामे कुफ़र ऐलानिया ग़ालिब कर दिए जाएँ

यही क्रियास है अलख

दुर गुरर मुल्ला खुसरो में है :

دارالحرې تصيردارالاسلام باجراء احكام الاسلام فيها كا
قائمة الجبعة والاعبادوان بقى فيها كافر اصلى ولم يتصل
بدارالاسلام بان كان بينها وبين دارالاسلام مصر اخر لاهل
الحرې الخ

(دررغر کتاب الجهاد باب المستامن مطبع احمد كامل مصر ۱/۲۹۵)

هذا لفظ العلامة خسرو واثره شيخى زادة فى مجمع الانهر،
وتبعه المولى الغزى فى التنوير، واقراء المدقق العلائى فى الدرر،
ثم الطحطاوى والشامى اقتديا فى الحاشيتين .

दारुल हरब इस्लामी अहकाम जारी करने मस्लन
जुम्आ और ईदैन वहाँ अदा करने पर दारुल इस्लाम
बन जाता है अगर वहाँ कोई अस्ली काफिर भी मौजूद
हो और उसका दारुल इस्लाम से इत्तिसाल भी ना हो
यूँ कि उसके और दारुल इस्लाम के दरमियान कोई
दूसरा हरबी शहर फ़ासिल हो अलख, ये अल्लामा
खुसरो के अल्फ़ाज़ हैं। (और तहतावी, शामी वग़ैरह
में इस की इत्त्रिदा की गई है)

जमीड़ल फुसूलैन से नक्ल किया गया :

له ان هذه البلدة صارت دارالاسلام باجراء احكام الاسلام
فيها فما بقى شيعي من احكام دارالاسلام فيها تبقى
دارالاسلام على ما عرف ان الحكم اذا ثبت بعلّة فما بقى شيعي
من العلة يبقى الحكم ببقائه، هكذا ذكر شيخ الاسلام ابوبكر
في شرح سيرة الاصل انتهى

(جامع الفصولين الفصل الاول القضاء اسلامي كتب خانة كراچی ص ۱۲)

इमाम साहब के हाँ दारुल ह़रब का इलाका इस्लामी
अहकाम वहाँ जारी करने से दारुल इस्लाम बन जाता
है तो जब तक वहाँ इस्लामी अहकाम बाकी रहेंगे वो
इलाका दारुल इस्लाम रहेगा, ये सब इस लिए कि
हुकम जब किसी इल्लत पर मबनी हो तो जब तक
इल्लत में से कुछ पाया जाए तो इस की बक्रा से हुकम
भी बाक़ी रहता है जैसा कि मअरूफ़ है। अबू बकर
शैखुल इस्लाम ने असल (मबसूत) के सैर के बाब की
शरह में यूँ ही ज़िक्र फ़रमाया है।

وعن الفصول العبادية ان دارالاسلام لا يصير دارالحرب
اذ ابقى شيعي من احكام الاسلام وان زال غلبة اهل الاسلام
وعن منشور الامام ناصر الدين دارالاسلام انما صارت
دارالاسلام باجراء الاحكام فما بقيت علقة من علائق
الاسلام يترجح جانب الاسلام (الفصول العبادية)

وعن البرهان شرح مواهب الرحمن لا يصير دار الحرب مادام
فيه شيء منها بخلاف دار الاسلام لاننا رجحنا اعلام الاسلام
واحكام اعلام كلمة الاسلام
(البرهان رح مواهب الرحمن)

وعن الدر المنتقى لصاحب الدر المختار دار الحرب تصير
دار الاسلام باجراء بعض احكام الاسلام
(الدر المنتقى على يامش مجمع الانهر كتاب السير دار احياء التراث العربي بيروت ۲۳۴/۱)

फुसूले अम्मादिया से मंकूल है कि दारुल इस्लाम जब तक वहाँ अहकामे इस्लाम बाक्री रहेंगे तो वो दारुल हरब ना बनेगा अगर्चे वहाँ अहले इस्लाम का गलबा खतम हो जाए, इमाम नसीरुद्दीन की मंसूर से मंकूल है कि दारुल इस्लाम सिर्फ इस्लामी अहकाम करने से बनता है तो जब तक वहाँ इस्लाम के मुतल्लिकात बाक्री हैं तो वहाँ इस्लाम के पहलू को तरजीह होगी। और बरहाने शरह मवाहिबुर रहमान से मंकूल है कोई इलाका उस वक़्त तक दारुल हरब ना बनेगा जब तक वहाँ कुछ इस्लामी अहकाम बाक्री हैं, क्योंकि इस्लामी निशानात को और कलिमा -ए- इस्लाम के निशानात के अहकाम को हम तरजीह देंगे, दारुल इस्लाम का हुक्म उस में खिलाफ है। साहिबे दुर्रे मुख्तार की अल

मंतक्रा से मंकूल है कि दारुल हर्ब में बाज़ इस्लामी अहकाम के नाफ़िज़ से दारुल इस्लाम बन जाता है।

शरहे निकाय़ा में है :

لاخلاف ان دارالحرب تصير دارالاسلام باجراء بعض احكام
الاسلام فيها

(جامع الرموز كتاب الجهاد مكتبة اسلامية گنبد قاموس ايران ۵۵۶/۲)

बिला इख़्तिलाफ़ दारुल हर्ब वहाँ बाज़ इस्लामी अहकाम के नाफ़िज़ से वो दारुल इस्लाम बन जाता है।

और इसी में है :

وقال شيخ الاسلام والامام الاسبيجاني اي الدار محكومة
بدار الاسلام ببقاء حكم واحد فيها كما في العبادى وغيره
(جامع الرموز كتاب الجهاد مكتبة اسلامية گنبد قاموس ايران ۵۵۷/۲)

शेखुल इस्लाम और इमाम अस्बीजाबी ने फ़रमाया :
किसी भी इलाक़े में कोई एक इस्लामी हुक़म भी बाकी
हो तो उस इलाक़े को दारुल इस्लाम कहा जाएगा,
जैसा कि अम्मादिया वग़ैरह में है।

फिर अपने बिलाद और वहाँ के फ़ितन वा फ़साद की निस्बत फ़रमाते हैं :

فلاحتياط يجعل هذه البلاد دارالاسلام والمسلمين وان

كانت للملاعين والبيد في الظاهر لهؤلاء الشيطيين رينا
لاتجعلنا فتنة للقوم الظلمين ونجنا برحمتك من القوم
الكافرين كما في المستصفي وغيره
(جامع الرموز كتاب الجهاد مكتبة اسلامية كنبدا قاموس ايران ٥٥٤/٢)

एहतियात यही है कि ये इलाक़ा दारुल इस्लाम वल मुस्लिमीन करार दिया जाए, अगर्चे वहाँ ज़ाहिरी तौर पर शैतानों का क़ब्ज़ा है, ऐ हमारे रब! हमें ज़ालिमो के लिए फ़ितना ना बना और अपनी रहमत से हमे काफ़िरो से नजात अता फरमा, जैसा के मुस्तस्फी वग़ैरह में है।

मज़कूरा हवाला जात के अलावा इमामे अहले सुन्नत, आला हज़रत ने फ़िक्रहे हनफ़ी की रौशनी में तफ़सील से कलाम फरमाया है और ये साबित किया है कि हिन्दुस्तान दारुल हरब नहीं बल्कि दारुल इस्लाम है। हम ने यहाँ मुकम्मल रिसाला नक़ल ना कर के बस शुरू का एक हिस्सा नक़ल करने पर इत्तिफ़ा किया है, मज़ीद तफ़सील के लिए रिसाला "इलामुल आलाम बि अन्ना हिन्दुस्तान दारुल इस्लाम" का मुताला फ़रमाएँ।

अब हम मज़ीद उलमा -ए- अहले सुन्नत की इस हवाला से तहकीक़ात पेश करेंगे।

फ़तावा मुफ़्ती -ए- आज़मे हिंद में

फ़तावा मुफ़्ती -ए- आज़मे हिंद में एक सवाल इस तरह है, बाज़ लोग कहते हैं कि हिन्दुस्तान दारुल ह़रब है दारुल इस्लाम नहीं लिहाज़ा यहाँ जुम्आ अदा नहीं होता है जुहर पढ़ना चाहिए, क्या ऐसा ही हुक्म शरीअत शरीफ में है?

जवाब में लिखते हैं कि हिन्दुस्तान दारुल इस्लाम है, दारुल ह़रब नहीं, यहाँ जुम्आ शरीफ शहर व क़ज़ाबात में फ़र्ज़ है, गाँव में जुम्आ वा ईदैन की नमाज़ नहीं हो सकती है कि जुम्आ वा ईदैन के लिए मिस्र जरूरी है।

सदरुशशरिया, अल्लामा मुफ़्ती अमजद अली आज़मी

सदरुशशरिया, अल्लामा मुफ़्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि तआला अलैह लिखते हैं कि सहीह यही है कि हिन्दुस्तान दारुल इस्लाम है और यही अल्लामा शामी की तहकीक़ से साबित होता है, दार की दो क़िस्में हैं : दारुल इस्लाम, दारुल ह़रब, अगर मुसलमान दारुल ह़रब में अमान ले कर जाए तो वही दारुल ह़रब इस मुस्लिम के लिये दारुल अमान है। यून ही अगर ह़रबी काफ़िर अमान ले कर दारुल इस्लाम में आया तो उसके लिए यही दारुल अमान है। लिहाज़ा दारुल अमान जिस को कहा जाता है वो या दारुल इस्लाम है या दारुल ह़रब इन दो के अलावा कोई तीसरी क़िस्म नहीं है।

(फ़तावा अमजदिया, जिल्द 4, सफ़हा 200)

मलिकुल उलमा, अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी

खलीफ़ा -ए- आला हज़रत, मलिकुल उलमा, अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह लिखते हैं :

दारुल इस्लाम उस जगह को कहते हैं जो मुसलमानो के क़ब्ज़े में हो और वहाँ बे दग़दगा इस्लामी अहकाम जारी हो जाएँ। दारुल हरब ऐसी जगह को कहते हैं कि वहाँ अहकामे शिर्क ऐलानिया जारी हों और शरीअत के अहकाम बिल्कुल ममनूअ हो जाएँ। मगर यहाँ (हिन्दुस्तान में) बिफ़दलिल्लाहि तआला हरगिज़ हरगिज़ अहकामे शरीअत की अदाइगी ममनूअ नहीं और इक्रामत वा नमाज़े बा जमाअत वग़ैरहा शिअरे शरीअत, बग़ैर मुजाहिमत अलल ऐलान अदा करते हैं, फ़राइज़, निकाह, रज़ाअ, तलाक़ वग़ैरह मुआमलात मुस्लिमीन हमारी शरीअते बैज़ा की बिना पर फैसल होते हैं कि इन उमूर में हज़राते उलमा -ए- किराम से फ़तवा लेना और उस पर हुक्म मुकम्मल करना, हुक्कामे अंग्रेज़ी को भी ज़रूरी होता है अगर हिन्दू व मजूसी व नसारा हो।

फ़तावा रज़विथ्या में सिराजुल वहाज, इस में हज़रत मुहर्रिरुल मज़हब सीना मुहम्मद रदिअल्लाहु तआला अन्हु की ज़ियादत से है:

انبا تصیروار الاسلام دارالحراب عندابی حنیفة رحبه الله
تعالی بشروط ثلاثة، احدها اجراء احكام الكفار على سبیل
الاشتہار وان لا یحکم فیہا بحکم الاسلام، ثم قال و صوۃ

المسئلة ثلاثة اوجه اما ان يغلب اهل الحرب على دار من
دورنا او ارتد اهل مصر غلبوا واجرو الاحكام الكفر او نقض اهل
الذمة العهد وتغلبوا على دارهم فنى كل من هذه الصور
لاتصير دار حرب الا بثلاثة شروط

हमारे इमामे आजम बल्कि उलमा -ए- सालसा
रहीमहुमुल्लाहु के मज़हब पर हिन्दुस्तान दारुल
इस्लाम है, हरगिज़ हरगिज़ दारुल ह़रब नहीं।

वल्लाहु तअ़ाला आलम

(फ़तावा मलिकुल उलमा, पेज 222)

फ़तावा दीदारिया

खलीफ़ा -ए- आला हज़रत, हज़रत अल्लामा सैय्यद दीदार अली
शाह रहमतुल्लाह तअ़ाला अलैह एक सवाल के जवाब में लिखते हैं
कि बक्रौल मुख्तार हिन्दुस्तान दारुल ह़रब नहीं है (यानी दारुल इस्लाम
है)

(*) ये सवाल सूद के मुतअल्लिक़ किया गया था। ख़याल रहे कि हरबी काफ़िर
से बिना धोका दिए जो ज़ाइद रकम मिलती है मस्लन बैंक और पोस्ट ऑफिस
से वो सूद नहीं बल्कि माले मुबाह है और इस में तफ़सील है जिसे आप हमारे
रिसाले "काफिर से सूद" में भी पढ़ सकते हैं।

फ़तावा अजमलिया

हज़रत अल्लामा मुफ़्ती अजमल कादरी रहमतुल्लाहि तआला से ये ये सवालात किये गए :

(1) हिन्दुस्तान दारुल हरब है या दारुल इस्लाम?

(2) हिन्दुस्तान में जुम्आ फ़र्ज है या नहीं?

आप रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं

(1) हमारे इमामे आजम अबू हनीफा, व इमाम अबू यूसुफ व इमाम मुहम्मद रहीमहुमुल्लाहु तआला के मज़हब की तसरीहात के बिना पर हरगिज़ हरगिज़ दारुल हरब नहीं है बल्कि दारुल इस्लाम है, फ़तावा आलमगीरी में है :

اعلم ان دار الحرب تصير دار الاسلام بشرط... الخ
(عائلي، ج 2، ص 269)

(मज़ीद कई कुतुबे फ़िक्ह के हवाला देने के बाद आप लिखते हैं कि) इन इबारत से आफ़ताब की तरह रौशन हो गया कि जब हिन्दुस्तान में जुम्आ व ईदैन, अज़ानो इक्रामत, नमाज़ बजमात वग़ैरहा अहकामे इस्लाम अलल ऐलान अदा करते हैं और हिन्दुस्तान को और कोई दारुल हरब इहाता नहीं कर रहा है बल्कि दो जानीबैन बिलादल इस्लामिया से मुत्तसिल हैं तो इसे दारुल हरब किस तरह करार दिया जा सकता है! अब बाक़ी ये शुब्हा के इस में अहकामे मुशरिकीन भी जारी हैं तो इस शुब्है को तहतावी की इबारत ने साफ़ कर दिया कि जहाँ अहकामे मुस्लिमीन और अहकामे मुशरिकीन दोनों जारी हों तो

वो दारुल हरब नहीं लिहाजा अब बावजूद उन इबारात के हिन्दुस्तान को दारुल इस्लाम ना कहना अक्रवाले अइम्मा की मुखालिफत है और तसरीहाते फुक्रहा से इंकार है और अपनी अक़ल व फ़हम की दीन में मुदाखिलत है, मौला तआला कुबूले हक़ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।

(2) बिला शुब्हा जुम्आ (हिन्दुस्तान में) फ़र्ज है हिन्दुस्तान में अगर्चे कुफ़्रार की हुकूमत है और बादशाहे इस्लाम नहीं लेकिन जुम्आ की सिहत के लिए इस क़द्र काफ़ी है कि मुसलमान जुम्आ व ईदैन काइम करते हैं और एक शख्स को इमाम मुकरर करते हैं, लिहाजा हिन्दुस्तान में जुम्आ का फ़र्ज होना साबित हुआ और अदा -ए- जुम्आ से नमाजे जुहर की फ़र्जियत साक़ित हो गई और अब किसी का जुम्आ को नफ़ल करार देना तसरीहाते फ़िक्ह की मुखालिफ़त और सख़्त नादानी और जिहालत है।

(फ़तावा अजमलिया, जिल्द 2, सफ़हा 328)

फ़तावा शरईया

हज़रत अल्लामा मुफ़ती मुहम्मद फ़जल करीम हमीदी से सुवाल किया गया कि हिन्दुस्तान दारुल हरब है या दारुल इस्लाम?

आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह जवाब में लिखते हैं :
अल्हम्दुलिल्लाह कि हिन्दुस्तान दारुल इस्लाम है।

(फ़तावा शरईया, जिल्द 3, सफ़हा 624)

फ़तावा मसज़दी

हज़रत अल्लामा शाह मुहम्मद मसज़दी दहेलवी रहीमहल्लाहु तआला लिखते हैं :

बार माहिराने फ़िक्ह मख़फ़ी ना रहे कि ये मुल्क (हिन्दुस्तान) दारुल हरब नहीं है क्योंकि जो मुल्क कि अहले इस्लाम का हो और हम पर कुफ़्रार ग़लबा कर के अपने तहत में कर लें वो दारुल इस्लाम है। दारुल हरब (तब) होता है यानी जब कि तीनों शर्तें पाई जाएँ तो दारुल हरब होगा और अगर एक भी मज़दूम होगी (नहीं पाई जाएगी) उस वक्त दारुल हरब नहीं होगा।

انہا تصیر دار الاسلام دار الحرب عند اب نیفۃ رحمہ اللہ
تعالیٰ بشروط لاثہ... الخ (فتاویٰ المگیری)

(1) एक शर्त ये है कि जारी होना क़ानूने कुफ़्रार का बतरीक़ शोहरत और कोई हुक़्मे शरीअत का जारी ना हो अगर कोई भी हुक़्म शरीअत का जारी रहेगा, दारुल हरब ना होगा हालाँकि इस दियार में हुक़्म शरीअत के जारी हैं।

(2) और दूसरी शर्त ये है कि इत्तिसाल उस का किसी दारुल हरब दूसरे से ना हो, ये भी बशर्त इस मुल्क में बहुत फ़ासिला होने मुल्क काबुल के मफ़कूद है।

(3) और तीसरी शर्त ये है कि कोई मोमिन या ज़िम्मी बा अमान

साबिक्र ना रहे। ये भी शर्त मफ़कूद है पस मुल्क दारुल हरब ना हो।

(देखें फ़तावा मसऊदी, पेज 424)

फ़तावा निज़ामिया

अल्लामा मुफ़ती मुहम्मद रुकनुद्दीन रहीमहुल्लाहु तअ़ाला से हिन्दुस्तान के मुतअल्लिक्र ये सवाल किया गया कि ये दारुल हरब है या दारुल इस्लाम?

आप लिखते हैं :

तीन चीज़ों से दारुल इस्लाम दारुल हरब बन जाता है (उन तीन चीज़ों का बयान गुजर चुका है, उन्हें लिखने के बाद आप रहीमहुल्लाहु तअ़ाला ने दुर्रे मुख्तार की इबारत नक़ल की है, फिर लिखते हैं कि) तमाम हिन्दुस्तान में अहकामे शरई जुम्आ व ईदैन वग़ैरह नाफ़िज़ हैं और मुसलमानों को मज़हबी रसूम के अदा करने की कोई मुमानिअत नहीं और निकाहो तलाक़ो मीरास के कुज़िये (Cases) अदालतों में अहकामे शरई के मुवाफ़िक्र होते हैं और मुसलमानों को फ़राइज़े इस्लाम यानी नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात की अदाइगी के मुतअल्लिक्र पूरी आज़ादी हासिल है बल्कि मुआमलात यानी बय व शरअ व रहन वग़ैरह के मुतअल्लिक्र भी अक्सर क़ानून शरीअत के मुवाफ़िक्र है और मुसलमानों के जानो माल की काफ़ी हिफ़ाज़त की जाती है, इसलिये हिन्दुस्तान दारुल इस्लाम है, दारुल हरब नहीं।

(देखें फ़तावा निज़ामिया, जिल्द 1 सफ़हा 322)

फ़तावा हाफ़िज़े मिल्लत

फ़तावा हाफ़िज़े मिल्लत में है कि ये सारे (यूरोपी) बिलाद दारुल हरब हैं और दारुल हरब में जुम्'आ सही नहीं, किसी मुल्क के दारुल इस्लाम होने के लिए बुनियाद शर्त ये है कि उस पर मुसलमानों का क़ब्ज़ा हो जाए अगर कोई मुल्क ऐसा है जिस पर कभी भी मुसलमानों का क़ब्ज़ा नहीं हुआ तो वो दारुल हरब ही रहेगा अगर मुसलमान वहाँ बोदो बाश इख्तियार करें, उन्हें इजाज़त हो कि वो अपने मज़हबी मामूलात जैसे चाहे अदा करें। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा कुदिसा सिरूहू फ़तावा रज़विया ज़िल्द सौम में फरमाते हैं:

"जहाँ सल्तनते इस्लामी कभी ना थी ना अब है वो इस्लामी शहर नहीं हो सकता, ना वहाँ जुम्'आ वा ईदैन जाइज़ हों अगर वहाँ के काफ़िर सलातीन शअइरे इस्लामिया को ना रोकते हों, अगर वहाँ मसाजिद बा कसरत हों, अज़ानो इक़ामत जमाअत अलल ऐलान होती हों, अगर अवाम अपने जहल के बाईस जुम्'आ वा ईदैन बिला मुजाहिमत अदा करते हों जैसे के रूस, जर्मन, फ्रांस, पुर्तगल वगैरह अक्सर बल्कि शायद कुल सल्तनतहाए यूरोप का यही हाल है।

(फ़तावा रज़विया, ज़िल्द 3, सफ़हा 716, रज़ा एकेडमी, मुंबई)

इसी में है : शरह निक़ाया में काफ़ी से है:

دار الإسلام ماری مرآة المسلمین

(फ़तावा रज़विया, ज़िल्द 3, सफ़हा 716, रज़ा एकेडमी, मुंबई)

इस से ज़ाहिर हो गया है कि हॉलैंड वगैरह में जुम्'आ वा ईदैन सहीह

नहीं इस लिए कि वो दारुल हरब हैं। लेकिन जहाँ जहाँ जुम्आ होता हो वहाँ अवाम को मना ना किया जाए जैसा कि देहात में जुम्आ के बारे में आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा कुद्दिसा सिरूहू ने फ़रमाया है। रह गया बूदो बाश का मुआमला अगर हुकूमत मुसलमानों को उन के मज़हब के खिलाफ़ किसी काम के करने पर मजबूर नहीं करती, वहाँ मुसलमानों को मज़हबी आज़ादी हासिल है तो वहाँ मुसलमानों के रहने में कोई हर्ज नहीं जैसा कि हबशा में सहाबा -ए- किराम नीज़ लंका और माला बार में ताबईन ने आकर सुकूनत इख्तियार की और चीन में छटी सदी से मुसलमान रह रहे हैं।

वल्लाहु तआला आलम

[देखें फ़तावा हाफ़िज़े मिल्लत, (फ़तावा अशरफ़िया, जिल्द पंजुम) जिल्द 2, सफ़हा 159, फ़तावा अहले सुन्नत ऐप)]

फ़तावा इदारा शरिया

नेपाल दारुल हरब या दारुल इस्लाम

फ़तावा इदारा शरिया में नेपाल के दारुल हरब और दारुल इस्लाम होने के मुतअल्लिक़ सवाल किया गया जिस का जवाब दर्ज ज़ेल है :

मौजूद खित्ता नेपाल की दो हैसियतें हैं, एक वो इलाक़ा जो हिन्दुस्तान सरहद से मुत्तसिल है जिसे वहाँ के उर्फ़ में तुरई या मुग़लान बोलते हैं, मुग़लान का इलाक़ा वो इलाक़ा है जो मुग़लिया दौरै हुकूमत में बादशाह अकबर और हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर के ज़ेरे हुकूमत या ज़ेरे असर रह चुका है। जब औरंगज़ेब आलमगीर अलैहिर्हमा के

दौरै हुकूमत में हिन्दुस्तान के अंदर अहकामे इस्लामी का नाफ़िज़ हुआ तो नेपाल का तुरई इलाक़ा उस से मुतस्सिर हुए बग़ैर नहीं रह सका इस हैसियत से जो हुक़मे शरअ़ खित्ता हिन्दुस्तान का होगा वही तुरई नेपाल का भी होगा। और दुर्गे मुख्तार रद्दुल मुहतार ने इस की वज़ाहत कर दी है कि दारुल इस्लाम उस वक़्त तक दारुल हरब नहीं होगा जब तक कि कुफ़्र के अहकाम पूरी तरह वहाँ जारी न हो जाएँ और इस्लामी अहकाम कुल्लियतन रोक ना दिए जाएँ और अगर इस्लाम व कुफ़्र दोनों के अहकाम जारी हों तो वो दारुल हरब नहीं होगा, बिहम्दि तअ़ाला इस तारीफ़ की बुनियाद पर हिन्दुस्तान और नेपाल का तुरई इलाक़ा (मुग़लान) दारुल इस्लाम है। नेपाल का दूसरा इलाक़ा वो है जो हिन्दुस्तान के ज़ेरे असर कभी नहीं रहा और न मुसलमानों के क़ब्ज़े में कभी आया और न वहाँ कभी इस्लामी अहकाम जारी हुए लिहाज़ा नेपाल का ये दूसरा इलाक़ा दारुल हरब है। हाँ! नेपाल के कुफ़्रार बे इम्तियाज़ खित्ता व इलाक़ा सब के सब हरबी हैं। और वहाँ के मुसलमान बाशिंदे मुस्तमिन हैं जैसा कि नेपाल के मलान दौरै हुकूमत की तारीख़ से पता चलता है कि वहाँ के ग़ैर मुस्लिम वाली हुकूमत ने मुसलमानों को अमान दे कर मुल्क में रहने सहने की इजाज़त दी।

वल्लाहु तअ़ाला आलम

(देखें, फ़तावा इदारा शरिया, जिल्द 3, पेज 580, फ़तावा अहले सुन्नत ऐप)

अज़हरुल फ़तावा में एक अंग्रेज़ी फ़तवा

Question 1 :

What is a "Darul Harb"?

Question 2 :

Is the Republic of South Africa a "Darul Harb"?

7th Muharram 1412 A.H. 20 July 1991

Mr. Haroon Tar Ladysmith Natal South Africa

THE ANSWER

1: "Darul Harb" is a non-Muslim country.

2: It is, therefore, true on the Republic of South Africa as it is a non-Muslim country from the very beginning. Hence, this technical term is applicable on every non-Muslim country as well as South Africa. It is historically proven that South Africa was never

under the Islamic rule so the basic condition of it being a Darul Islam is not applicable.

Hence, it is a Darul Harb and it is clear and needs no explanation.

If, for example, it was a Darul Islam long ago and afterwards the Islamic government came to an end and a non-Muslim government

came into place and the non-Islamic ordinance was issued throughout the country so that no one could enjoy the previous peace and the country was adjoined with the non-Muslim countries in every respect. In such a case, too, it becomes a Darul Harb. Following this is a categorical injunction from Islamic Jurisprudence.

The great Muslim theologians, Hadrat Allama Qaazi and Hadrat Ala'uddin Haskafi (rahmatullah Ta'ala alaihum) have stated in their works "Tanweerul-Absar" and "Durre Mukhtaar", respectively that :

لاتصيردارالاسلامدارالحرب الا بامورثلاثة... الخ

Suppose that South Africa is still Darul Islam. The very rule of your issue remains. As I have said before, (refer to Fatwa on interest) that the condition for a profit to be considered as interest lies when there is a dealing between a Muslim and a Zimmi Kaffir. On the other hand, if there is a dealing between a Muslim and a Harbi Kaffir, it would not be considered as interest, but

as profit and it would be legal for a Muslim despite the fact that the dealing takes place in Darul Islam.

[मुफ़ती] मुहम्मद अज़्तर रज़ा खान क़ादरी अज़हरी

हासिले कलाम

मज़कूरा बाला हवाला जात की रौशनी में ये मसअला बिल्कुल वाजेह हो गया कि हिन्दुस्तान दारुल इस्लाम है, दारुल हरब नहीं। जो इसे दारुल हरब कहते हैं तो उन्हें मज़ीद तहक्रीक की ज़रूरत है। अकाबिरीने अहले सुन्नत की इबारात हमने इस रिसाले में नक़ल करने की सआदत हासिल की और ये रिसाला तकमील को पहुँचा, अल्लाह तआला इसे कुबूल फरमाए और अहबाबे अहले सुन्नत के लिए मुफ़ीद बनाए।

नोट :

एक मसअला जो इस मसअले से तअल्लुक रखता है वोह काफिर से सूद लेने का है। हिन्दुस्तान अगर दारुल इस्लाम है तो क्या यहाँ के कुफ़रार से सूद लेना जाइज़ होगा? उनसे मिलने वाली इज़ाफ़ी रक़म किस तरह जाइज़ है? बैंक (Bank) और पोस्ट ऑफिस (Post office) से मिलने वाली ज़ाइद रक़म लेना कैसा है? इसके मुतअल्लिक उलमा -ए- अहले सुन्नत ने क्या फ़रमाया है? इन सब की तफ़सील जानने के लिए हमारा रिसाला "काफिर से सूद" मुलाहिज़ा फरमाईए। इस में हमने मुतअदिद हवाला जात पेश किए हैं और इन बातों की तफ़सील नक़ल की है।

हिंदी में हमारी दूसरी किताबें

(1) बहारे तहरीर - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफिशियल (अब तक चौदह हिस्से)
(2) अल्लाह त'आला को ऊपरवाला या अल्लाह मियाँ कहना कैसा? - अब्दे मुस्तफ़ा
(3) अज़ाने बिलाल और सूज़ का निकलना - अब्दे मुस्तफ़ा
(4) इश्के मजाज़ी (मुंताख़ब मज़ामीन का मजमुआ) - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफिशियल
(5) गाना बजाना बंद करो, तुम मुसलमान हो! - अब्दे मुस्तफ़ा
(6) शबे मेराज गौसे पाक - अब्दे मुस्तफ़ा
(7) शबे मेराज नालैन अर्श पर - अब्दे मुस्तफ़ा
(8) हज़रते उवैस करनी का एक वाक़िया - अब्दे मुस्तफ़ा
(9) डॉक्टर ताहिर और वक्रारे मिल्लत - अब्दे मुस्तफ़ा
(10) ग़ैरे सहाबा में रदिअल्लाहु त'आला अन्हु का इस्तिमाल - अब्दे मुस्तफ़ा
(11) चंद वाक़ियाते कर्बला का तहकीक़ी जाइज़ा - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफिशियल
(12) बिन्ते हव्वा (एक संजीदा तहरीर) - कनीजे अख़्तर
(13) सेक्स नॉलेज (इस्लाम में सोहबत के आदाब) - अब्दे मुस्तफ़ा
(14) हज़रते अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़िए पर तहकीक़ - अब्दे मुस्तफ़ा
(15) औरत का जनाज़ा - जनाबे गज़ल साहिबा
(16) एक आशिक़ की कहानी अल्लामा इब्ने जौज़ी की जुबानी - अब्दे मुस्तफ़ा
(17) आईये नमाज़ सीखें (पार्ट 1) - अब्दे मुस्तफ़ा
(18) क्रियामत के दिन लोगों को किस के नाम के साथ पुकारा जाएगा? - अब्दे मुस्तफ़ा
(19) शिर्क क्या है? - अल्लामा मुहम्मद अहमद मिस्बाही
(20) इस्लामी तअलीम (हिस्सा अब्वल) - अल्लामा मुफ़्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी
(21) मुहर्म्म में निकाह - अब्दे मुस्तफ़ा
(22) रिवायतों की तहकीक़ (पहला हिस्सा) - अब्दे मुस्तफ़ा
(23) रिवायतों की तहकीक़ (दूसरा हिस्सा) - अब्दे मुस्तफ़ा
(24) ब्रेक अप के बाद क्या करें? - अब्दे मुस्तफ़ा
(25) एक निकाह ऐसा भी - अब्दे मुस्तफ़ा

हिन्दुस्तान दारूल हरब या दारूल इस्लाम

(26) काफ़िर से सूद - अब्दे मुस्तफ़ा
(27) मैं खान तू अंसारी - अब्दे मुस्तफ़ा
(28) रिवायतों की तहकीक़ (तीसरा हिस्सा) - अब्दे मुस्तफ़ा
(29) जुर्माना - अब्दे मुस्तफ़ा
(30) ला इलाहा इल्लल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह? - अब्दे मुस्तफ़ा
(31) हैज़, निफ़ास और इस्तिहाज़ा का बयान बहारे शरीअत से - अल्लामा मुफ़्ती अमजद अली आज़मी
(32) रमज़ान और क़ज़ा -ए- उमरी की नमाज़ - अब्दे मुस्तफ़ा
(33) 40 अहादीसे शफ़ाअत - आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी
(34) बीमारी का उड़ कर लगना - आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी
(35) ज़न और यक़ीन - आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा बरेलवी
(36) ज़मीन साकिन है - आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी
(37) अबू तालिब पर तहकीक़ - आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी
(38) कुरबानी का बयान बहारे शरीअत से - अल्लामा मुफ़्ती अमजद अली आज़मी
(39) इस्लामी तालीम (पार्ट 2) - अल्लामा मुफ़्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी
(40) सफ़ीना -ए- बख़्शिश - ताज़ुशशरिया, अल्लामा मुफ़्ती अख़्तर रज़ा खान
(41) मैं नहीं जानता - मौलाना हसन नूरी गोंडवी
(42) जंगे बद्र के हालात इख़्तिसार के साथ - मौलाना अबू मसरूर असलम रज़ा मिस्बाही कटिहारी
(43) तहकीक़े इमामत - आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी
(44) सफ़रनामा बिलादे ख़मसा - अब्दे मुस्तफ़ा
(45) मंसूर हल्लज - अब्दे मुस्तफ़ा
(46) फ़र्ज़ी क़र्बे - अब्दे मुस्तफ़ा
(47) इमाम अबू यूसुफ़ का दिफा - इमामे अहले सुन्नत, आला हज़रत रहीमहुल्लाहु त'आला
(48) इमाम कुरैशी होगा - इमामे अहले सुन्नत, आला हज़रत रहीमहुल्लाहु त'आला
(49) हिन्दुस्तान दारुल हरब या दारुल इस्लाम? - अब्दे मुस्तफ़ा

DONATE

ABDE MUSTAFA OFFICIAL

TO DONATE :

Account Details :
Airtel Payments Bank
Account No.: 9102520764
(Sabir Ansari)
IFSC Code : AIRP0000001

SCAN HERE



 PhonePe  G Pay  paytm 9102520764

OUR DEPARTMENTS:

enikah

E NIKAH MATRIMONIAL SERVICE

SABIYA

SABIYA VIRTUAL PUBLICATION

BOOKS

ROMAN BOOKS

PS
graphics

PURE SUNNI GRAPHICS
GRAPHIC DESIGNING DEPARTMENT


ACAG MOVEMENT
TO CONNECT AHLE SUNNAT



   /abdemustafaofficial

 for more details WhatsApp on +919102520764

★ also available in
URDU AND HINDI



A

Abde Mustafa Official is a team from Ahle Sunnat Wa Jama'at working since 2014 on the Aim to propagate Quraan and Sunnah through electronic and print media. We're working in various departments.

(1) Blogging : We have a collection of Islamic articles on various topics. You can read hundreds of articles in multiple languages on our blog.

blog.abdemustafa.in

(2) Sabiya Virtual Publication

This is our core department. We are publishing Islamic books in multiple languages. Have a look on our library **books.abdemustafa.in**

(4) E Nikah Matrimonial Service

E Nikah Service is a Matrimonial Platform for Ahle Sunnat Wa Jama'at. If you're searching for a Sunni life partner then E Nikah is a right platform for you.

www.enikah.in

(4) E Nikah Again Service

E Nikah Again Service is a movement to promote more than one marriage means a man can marry four women at once, By E Nikah Again Service, we want to promote this culture in our Muslim society.

(5) Roman Books

Roman Books is our department for publishing Islamic literature in Roman Urdu Script which is very common on Social Media.

read more about us on **www.abdemustafa.in**

For futher inquiry: info@abdemustafa.in

M

O

AMO
ABDE MUSTAFA OFFICIAL

SABIYA
VIRTUAL PUBLICATION

ISBN (N/A)

